कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य/सी–1/स्थानांतरण/अंग्रेजी/2019–20 दिनांक–29.09.2019 के तहत् सतीदान यादव व्याख्याता, अंग्रेजी, राउमावि पावटा, जयपुर का स्थानांतरण स्वामी श्री रामेश्वर आश्रम राउमावि गुरूकुल झिझानिया, बकानी, झालावाड किया गया। सतीदान यादव द्वारा स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर मे अपील संख्या 4277/2019 सतीदान यादव बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 4277/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.11.2019 द्वारा याचिकार्थी सतीदान यादव को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार एक आख्यात्मक आदेश (SPEAKING ORDER) द्वारा निर्धारित समय सीमा में निरतारित किये जाने संबधी आदेश दिए।

माननीय न्यायालय निर्णय के तहत याचिकार्थी सतीदान को दिनांक 13.11.2019 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था। इनके द्वारा दिनांक 13.11.2019 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। सतीदान यादव द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर प्रार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से 400 किमी. देरी पर कर दिया गया है जो कि लितान्त रूप से गलत है। साथ ही उक्त स्थानान्तरण राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये उन दिशा निर्देशों के विरूद्ध है जिसके अंतर्गत यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पति व पत्नि राज्य सेवा में है तो उन्हें एक ही जगह पदस्थापित किया जावें, की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

याचिकार्थिया से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्ता, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरागंना से प्राप्त परिवेदनाओं को ही प्राथमिकता की श्रेणी में रखा गया हैं। याचिकार्थीया द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए याचिकार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 08.11.2019 में याचिकार्थि द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का एक सकारण आख्यात्मक आदेश द्वारा निस्तारण किये जाने के आदेश प्रज्ञपत थे। चूंकि सतीदान का अभ्यावेदन उपर्युक्त आधारों पर खारिज किया जा चुका है। अतः इन्हें निर्देशित किया जाता है कि ये विभागीय आदेश दिनांक 29.09.2019 की अनुपालना में तत्काल कार्यमुक्त हो कर अपने स्थानान्तरित स्थान स्वामी श्री रामेश्वर आश्रम राउमावि गुरूकुल झिझानिया, बकानी, झालावाड में व्याख्याता के पद पर दिनांक 26.11.19 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करें। अन्यथा इनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

(नथमल डिडेल)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/सी–1/अंग्रेजी/अपील सं.4277/सतीदान यादव/2019/29 दिनांकः– 18.11.19

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, उदयपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे सतीदान यादव के निर्धारित तिथि तक स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किये जाने की स्थिति में उनके विरूद्ध सीसीए–17 में विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव इस कार्यालय के विभागीय जाँच अनुभाग–प्रथम को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्राधानाचार्य 9. सतीदान यादव व्याख्याता, अंग्रेजी 10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)

C-1 Court Case 15